प्रेस - विज्ञप्ति

थाना ककरवई, जनपद झाँसी

दिनाँक- 03.10.2025

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही,**
- **थाना ककरवई पुलिस द्वारा 24 घण्टे के अन्दर हत्या के प्रयास अभियोग में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार,**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में **अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु** झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनाँक 03.10.2025 को थाना ककरवई पुलिस द्वारा थाना स्थानीय के मु0अ0सं0-67/2025 धारा 109/126(2)/352/118(1) BNS में वाँछित अभियुक्त प्रभुदयाल पुत्र गोकुल प्रसाद निवासी ग्राम व थाना ककरवई जनपद झांसी उम्र करीब 55 वर्ष को अभियोग पंजीकृत होने के 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 02.10.2025 को वादिया श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी मुन्नालाल निवासी ग्राम व थाना ककरवई जनपद झाँसी द्वारा थाना ककरवई पर सूचना दी गई कि दिनाँक-25.09.2025 को उसका पति श्री मुन्नालाल पुत्र मन्टू व श्रीमती भुमानी पत्नी दयाराम अपने खेत से काम करके मोटर साइकिल से ककरवई धनौरा से ककरवई गाँव की ओर आ रहे थे। ककरवई धनौरा मार्ग पुलिया पर अभियुक्त-प्रभुदयाल पुत्र गोकुल प्रसाद निवासी ग्राम व थाना ककरवई जनपद झांसी पहले से घात लगाये बैठा था । जैसे ही मुन्नालाल व भुमानी पुलिया के पास पहुँचे तो अभियुक्त प्रभुदयाल द्वारा जान से मारने की नियत से दोनों के ऊपर लोहे की राड से हमला कर दिया गया। जब दोनों गम्भीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े तो अभियुक्त इन दोनों घायलों को मरणासन्न अवस्था में

छोड़कर भाग गया। घटना के संबंध में प्राप्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना ककरवई पर मु0अ0सं0-67/2025 धारा 109/126(2)/352/118(1) BNS बनाम प्रभुदयाल उपरोक्त के पंजीकृत किया गया। अभियोग में वाँछित अभियुक्त प्रभुदयाल उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस की टीमें गठित की गई। जिनके द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए अभियोग पंजीकृत होने के 24 घण्टे के अन्दर ही अभियुक्त प्रभुदयाल पुत्र गोकुल प्रसाद उपरोक्त को चकाडोरी धाम मन्दिर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे के राड को बरामद किया गया। अभियोग में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम- प्रभुदयाल पुत्र गोकुल प्रसाद निवासी ग्राम व थाना ककरवई जनपद झांसी उम्र करीब 55 वर्ष

बरामदगी का विवरण- घटना में प्रयुक्त लोहे की राड

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण –

1.उ0नि0 श्री अंकित पंवार थाना ककरवई
2.का0292 मुकेश जुरैल थाना ककरवई